महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ
वाराणसी – 221002

पत्रांक : प0सा0/प्रवेश/955/2016 | दिनांक : 20 अगस्त, 2016

कार्यालय–आदेश

मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार रामदास महाविद्यालय, सिकरिया, भीमपुरा नं0 1, बलिया द्वारा विश्वविद्यालय में जमा किये गये बकाया शुल्क रू0 12 लाख के बैंक ड्राफ्ट इलाहाबाद बैंक काशी विद्यापीठ, यूनिवर्सिटी शाखा, वाराणसी द्वारा फर्जी घोषित कर दिये जाने के कारण समस्त पाठ्यक्रमों में तत्काल प्रभाव से प्रवेश प्रतिबन्धित करते हुए उक्त महाविद्यालय के समस्त छात्र/छात्राओं को अधोलिखित विवरण के अनुसार सम्मुखांकित महाविद्यालयों में स्थानान्तरित किया जाता है। सम्बन्धित छात्र स्थानान्तरित महाविद्यालय में प्रवेश ले लें–

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	महाविद्यालय का नाम
1.	स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय खण्ड	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चौधरी महाविद्यालय, बिशुनपुर, बलेसर, बलिया
2.	स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर, एवं तृतीय सेमेस्टर	कुबेर महाविद्यालय, जजौली, भीमपुरा नं0–1, बलिया

उपर्युक्त दोनों महाविद्यालय आवश्यतानुसार रामदास महाविद्यालय, सिकरिया, भीमपुरा नं0 1, बलिया के अध्यापकों से अध्यापन कार्य करा सकेंगे।

(ओम प्रकाश)
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित–

1. मा0 कुलपति जी।
2. वित्त अधिकारी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य– रामदास महाविद्यालय, सिकरिया, भीमपुरा नं0 1, बलिया को इस आशय के साथ कि यदि उक्त पाठ्यक्रमों प्रवेश लिया गया हो तो स्थानान्तरित महाविद्यालयों में पूर्ण विवरण एवं प्रवेश शुल्क जमा कराने का कष्ट करें।
4. प्रबन्धक/प्राचार्य– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चौधरी महाविद्यालय, बिशुनपुर, बलेसर, बलिया।
5. प्रबन्धक/प्राचार्य– कुबेर महाविद्यालय, जजौली, भीमपुरा नं0–1, बलिया।
6. प्रभारी– सम्बद्धता विभाग।
7. प्रभारी, संगणक केन्द्र।
8. समस्त सम्मानित समाचार पत्रों को इस आशय के साथ कि कृपया जनसाधारण के सूचनार्थ निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
9. सूचना पट्ट।

कुलसचिव